RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 48 / 2024

अपीलांटगण–	बनाम	रेस्पोडेंट्स –
1. श्री अनोपसिंह पुत्र धुकसिंह		1 श्री सम्पतसिंह पुत्र चणना
2. श्री चिमनसिंह पुत्र धुकसिंह		2 श्री विरमसिंह पुत्र चणना
3. श्रीमति बसनीकंवर पत्नी धुकसिंह		3 श्री हड़मतसिंह पुत्र चणना
4. श्री किशनसिंह पुत्र हुकमसिंह		4 श्रीमती शांतिदेवी पत्नी चणना
5. श्री भवानी सिंह पुत्र हुकमसिंह		5 श्री उतमसिंह पुत्र खीमा
6. श्रीमती लक्ष्मीकंवर पत्नी हुकमसिंह		6 श्री जसराज पुत्र खीमा
7. प्रियंका पुत्री हुकमसिंह		7 श्री देवीसिंह पुत्र खीमा
8. मंजू पुत्री हुकमसिंह जातियान राजपुत,निवासीयान सिणली जागीर, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।		8 श्रीमती दौली पत्नी खीमा
		9 श्री सांवलसिंह पुत्र खीमा जातियान राजपूत, निवासीयान सिणली जागरी, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा
		10 श्री तहसीलदार पचपदरा
		11 श्री उप तहसीलदार जसोल।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध कैम्प सिणली जागीर आदेश दिनांक 11.12.2001 एवं आदेश की पालना में म्युटेशन संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 जो उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश डाबी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री भगवत सिंह राठौड़ व तख्तसिंह नामा, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंटगण संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 12.08.2025

1. अपीलांटगण की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट संख्या 11 उप तहसीलदार जसोल के द्वारा कृषि भूमि के कैम्प सिणली जागीर विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 11.12.2001 तथा आदेश पालना में म्युटेशन संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 04.12.2024 को पेश की गई है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा रिकरलाई, पटवार हल्का सिणली जागीर, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 249 रकबा 136 बीघा 9 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जिसमें अपीलांटगण के हकपूर्वाधिकारी धुंका पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 4 के हकपूर्वाधिकारी चनणा पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 5 स 9 के हकपूर्वाधिकारी खीमा का 1/3 हिसासा संयुक्त खातेदारी का रहा है। उक्त भूमि के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2001 कैम्प सिणली जागीर में सह खातेदारान द्वारा प्रस्तुत सहमति विभाजन पर तहसीलदार पचपदरा के आदेश दिनांक 11.12.2001 द्वारा पारित स्वीकृति के अनुसरण में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 30 दायर कर उप तहसीलदार जसोल के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2002 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। उक्त अपीलाधीन विभाजन उपरांत नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.12.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 3 ता 9 के अधिवक्ता ने जवाब में यह कथन किया कि मौजा रिकरलाई, पटवार हल्का सिणली जागीर, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 249 रकबा 136 बीघा 9 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जिसमें अपीलांटगण के हकपूर्वाधिकारी धुंका पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 4 के हकपूर्वाधिकारी चनणा पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 5 स 9 के हकपूर्वाधिकारी खीमा का 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का रहा है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं है। उक्त आपसी सहमति का आदेश दिनांक 05.04.2002 को उप तहसील जसोल द्वारा सभी खातेदारों द्वारा सहमति के आधार पर मौके पर काबिज अनुसार नियमानुसार पारित करवाया गया, जिसके बाद आज भी मौके व रेकर्ड की स्थिति के अनुसार काबिज है। आपसी सहमति के विभाजन के लम्बा समय 23 वर्ष बीत चुके है, लेकिन आज दिन तक किसी भी पक्षकार ने कोई एतराज नही किया। आपसी सहमति के विभाजन 05.04. 2002 के बाद पक्षकारों का फौतगी नामान्तरकरण भी दर्ज किया गया है, जिसमें भी किसी भी पक्षकार द्वारा कोई एतराज या आपत्ति नहीं की गयी। अतः तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन आदेश की पालना में उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित आलोच्य म्युटेशन संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 जारी किया गया है, को बहाल रखते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन तथा म्याद बाहर होने से उक्त अपील खारिज़ करने का आदेश फरमावे।

5. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि मौजा रिकरलाई, पटवार हल्का सिणली जागीर, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 249 रकबा 136 बीघा 9 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जिसमें अपीलांटगण के हकपूर्वाधिकारी धुंका पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 4 के हकपूर्वाधिकारी चनणा पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 5 स 9 के हकपूर्वाधिकारी खीमा का 1/3

जिला कलक्टर
बालोतरा

हिससा संयुक्त खातेदारी का रहा है। उक्त विवादित भूमि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण को विरासत में प्राप्त हुई है, जो संयुक्त खातेदारी की थी। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 द्वारा अपीलांटगण के साथ छल, कपट करने हेतु एक फर्जी एवं कुटरचित हस्ताक्षर के मार्फत राजस्व अधिकारियों को धोखे में रखकर आपसी सहमति का विभाजन आवेदन सिणली जागीर कैम्प में तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत किया, उक्त विभाजन आवेदन के वक्त अपीलांटगण या उनके हकपूर्वाधिकारी ने सिणली जागीर कैंप में न तो सहमति के विभाजन आवेदन के समय उपस्थित हुए, न ही किसी विभाजन आवेदन में कोई हस्ताक्षर किये। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 एवं उनके हकपूर्वाधिकारियों द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि हड़प करने की नियत से सिणली जागीर कैंप में गुपचुप ढ़ग से अपीलांटगण एवं उनके हकपूर्वाधिकारियों को बताये बिना एवं विभाजन आवेदन में हस्ताक्षर करवाये बिना चोरी छिपे राजस्व अधिकारियों की आंखों में धूल झोंपते हुए फर्जी हस्ताक्षर करके विभाजन का आवेदन श्रीमान तहसीलदार पचपदरा के समक्ष सिणली जागीर कैंप में प्रस्तुत कर दिया तथा विभाजन के आदेश करवा दिये, उक्त आदेश का कोई रिकोर्ड तहसील पचपदरा में विध्यमान नहीं है, उसके बावजूद तत्कालीन हल्का पटवारी ने विभाजन का नामान्तरकरण प्रविष्टी संख्या 30 भरकर स्वीकृति हेतु उप तहसीलदार जसोल के समक्ष दिनांक 05.04.2002 को प्रस्तुत किया, जिसकी जांच किये बिना श्रीमान उप तहसीलदार जसोल के द्वारा विभाजन का नामान्तरकरण प्रविष्टी संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 को स्वीकृत कर दिया, जिसकी जानकारी अपीलांटगण को नहीं होने दी। अपीलांटगण के हकपूर्वाधिकारी स्व. हुकमसिंहजी राजकीय सेवा में रहते हुए सिणली जागीर से बाहर रहे तथा अपीलांट संख्या 5 से 8 शिक्षा ग्रहण करने हेतु अधिकतर समय बाहर ही रहें। अपीलांटगण संख्या 1 से 3 कम पढ़े लिखे होने से उन्हें इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं रही कि राजस्व रेकर्ड में कोई विभाजन हो चुका है तथा उक्त विभाजन की पालना में विभाजन का म्यूटेशन भरा जाकर नक्शे में गलत रूप से तरमीम कर दी गयी है। उपरोक्त खसरान के गलत रूप से हुए विभाजन की आड़ में की गयी तरमीम के अनुसार रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि में दखल देकर तंग परेशान करना शुरू कर दिया एवं रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण को उक्त अवैध रूप से हुए विभाजन आदेश एवं गलत तरमीम की आड में अपीलांटगण के कब्जे काश्त वाली भूमि में कब्जा करने की धमकीयां देने लगे, तब अपीलांटगण द्वारा सूचना अधिकार के तहत श्रीमान तहसीलदार से तथाकथित विभाजन आदेश के संबंध में सूचना मांगी गयी, तो तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय से अपीलांटगण को अवगत करवाया गया कि ऐसा कोई विभाजन आदेश पारित नहीं किया गया है। उक्त तथाकथित विभाजन आदेश अस्तित्व में ही नहीं है, फिर भी उक्त तथाकथित आदेश की गलत रूप से पालना की जाकर म्यूटेशन प्रविष्टी संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 को स्वीकृत किया जाकर राजस्व नक्शे में विभाजन की तरमीम अंकित कर दी गयी है। अतः उपतहसीलदार जसोल द्वारा पारित विभाजन आदेश तथा उनकी पालना में म्यूटेशन संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 को जारी किया गया, को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

6. अपीलांटगण के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश मात्र म्यूटेशन प्रविष्टी में तारीख अंकित की गयी है तथा म्यूटेशन को गलत रूप से स्वीकृत किया जाकर विभाजन की अशुद्ध रूप से तरमीम की गयी है। विभाजन का म्यूटेशन पारित करने से पूर्व अपीलांटगण को सुनवाई का कोई युक्तियुक्त अवसर उपलब्ध नही करवाया गया है तथा अपीलांटगण की सुनवाई किये बिना अपीलांटगण के कब्जे काश्त की भूमि के मौके

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बालोतरा

देखे बिना आलोच्य तथाकथित विभाजन आदेश एवं उक्त तथाकथित आदेश की पालना में भरा गया म्यूटेशन गलत है। विभाजन का कोई आदेश अस्तित्व में नहीं होते हुए उक्त तथाकथित आदेश की पालना में विभाजन का म्यूटेशन अवैध रूप से स्वीकृत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 (2) के तहत आपसी सहमति के आधार पर कृषि जोत के विभाजन हेतु रेस्पोडेंट संख्या 10 के समक्ष पेश होने की दशा में आवेदन प्रस्तुत करने का उस पर दिनांक अंकित करते हुए विभाजन की पत्रावली संधारित किया जाना एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। प्रक्रिया विधि की पालना किये बिना रेस्पोडेंट संख्या 11 द्वारा तथाकथित विभाजन आदेश पर अपीलांटगण की गैर मौजूदगी में अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध करवाये बिना विभाजन का म्यूटेशन में मात्र स्वीकृत शब्द लिखकर विभाजन का जो आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 10 द्वारा, रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 के साथ मिलावट करके उसे फायदा पहुंचाने की गरज से भूमि के मौका स्थिति की जांच किये बिना अपीलांटगण को सुने बिना एकांकी रूप से विधि विरूद्ध ढंग से अपनी मनमर्जी से विभाजन आदेश स्वीकृत कर दिया। जिसकी जानकारी अभी हाल ही में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 9 द्वारा नियम विरूद्ध करवायी गयी तरमीम की तरफ कब्जा करने की कोशिश करने पर दिनांक 06.11.2024 को आलोच्य विभाजन आदेश की जानकारी हुई। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा जारी जारी विभाजन आदेश दिनांक 11.12.2001 तथा उनकी पालना में उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित म्युटेशन संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 को निरस्त करते हुए मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किया जाये।

7. रेस्पोडेंट संख्या 2 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये, जो तामिल प्राप्त हुए। लिहाजा रेस्पोडेट संख्या 2 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस पूर्ण। रेस्पोडेंट संख्या 2 बावजुद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट को अपना बहस कथन प्रकट करने हेतु सम्यक अवसर प्रदान किया गया। इसके बावजूद अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कोई लिखित बहस अथवा दौरान सुनवाई अभिकथन नहीं करने पर प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

8. रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 3 ता 9 के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि मौजा रिकरलाई, पटवार हल्का सिणली जागीर, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 249 रकबा 136 बीघा 9 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातदारी है। जिसमें अपीलांटगण के हकपूर्वाधिकारी धुंका पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 4 के हकपूर्वाधिकारी चनणा पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 5 स 9 के हकपूर्वाधिकारी खीमा का 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का रहा है। उक्त विवादित भूमि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण को विरासत में प्राप्त हुई है, जो संयुक्त खातेदारी की थी। वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं है, जिससे अपीलांटगण किसी भी प्रकार से अपील करने के अधिकारी नहीं है। उक्त आपसी सहमति का आदेश दिनांक 05.04.2002 को उप तहसील जसोल द्वारा सभी खातेदारों द्वारा सहमति के आधार पर मौके पर काबिज अनुसार नियमानुसार पारित करवाया गया, जिसके बाद आज भी मौके व रेकर्ड की स्थिति के अनुसार काबिज है। आपसी सहमति के विभाजन के लम्बा समय 23 वर्ष बीत चुके है, लेकिन आज दिन तक किसी भी पक्षकार ने कोई एतराज नही किया। आपसी सहमति के विभाजन 05.04.2002 के बाद पक्षकारों का फौतगी नामान्तरकरण भी दर्ज किया गया है, जिसमें भी किसी भी पक्षकार द्वारा कोई एतराज या आपत्ति

जिला कलक्टर
बालोतरा

नहीं की गयी। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वीरमसिंह पुत्र चनणा जाति राजपूत फौत हो चुके है, जिनकी जानकारी अपीलांटगण को होने के बावजूद भी उनके कायम मुकाम को रेकर्ड पर नहीं लाया गया है। मृतक पक्षकार के विरूद्ध कोई अपील नहीं चल सकती है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण उक्त आपसी सहमति के विभाजन के कई दशकों बाद शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी रोक टोक के अपने हक–हिस्सो में लगातार खेतीबाड़ी करते आ रहे है। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण से कोई धोखाधड़ी गलतबयानी अनुचित प्रभाव एवं समझौते में कमी कारित नहीं की है। अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण का संयुक्त परिवार होने से परिवार बढ़- जाने से अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण के हकपूर्वाधिकारियों ने दिनांक 05.04.2002 को आपसी सहमति से मौके पर काबिज काश्त अनुसार सभी पक्षकारान की सहमति से विभाजन प्रस्ताव पारित कर करवाया था, जिस बाबत कभी भी अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण के हकपूर्वाधिकारियों ने आपत्ति एतराज नहीं किया। वर्तमान में अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण के परिवार में आपसी अनबन होने से हम रेस्पोडेंटगण को केवल मात्र परेशान करने व खर्चे हर्जे से जेरबार करने की दुषित मंशा से गलत तथ्यों की अपील पेश किया है, जबकि मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। राजस्व रेकर्ड में खातेदारों के मौके पर काबिज हिस्सा अनुसार ही बंटवाड़ा दर्ज है। उसी अनुसार हम रेस्पोडेंटगण भूमि का उपयोग उपभोग कर खाद, बीज डालकर उपजाउ बनाकर भूमि सुरक्षा व संरक्षण करते आ रहे है। उप तहसीलदार जसोल द्वारा आपसी सहमति के विभाजन उपरांत नामान्तरकरण संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 सही व विधि अनुसार पारित किया है। दिनांक 05.04.2002 को सही तरीके से म्यूटेशन की प्रविष्टी दर्ज की गई विभाजन प्रस्ताव किसी भी प्रकार से अशुद्ध रूप से तरमीम नही की गयी। उक्त विभाजन के उसी अनुसार सभी खातेदारान 23 वर्षों से काश्त करते आ रहे है, अगर उक्त विभाजन प्रस्ताव मौका स्थिति से विपरित पारित किया होता तो 23 वर्षों की अवधि तक अपीलांटगण चुप क्यों रहे, इसका अपनी अपील में कोई अंकन नहीं किया गया है तथा न ही अपील इतने वर्षों बाद प्रस्तुत करने का कोई स्पष्ट कारण अंकित किया है। अतः तहसीलदार द्वारा उक्त विभाजन आदेश की पालना में उप तहसीलदार जसोल द्वारा पारित आलोच्य म्युटेशन संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 जारी किया गया है, को बहाल रखते हुए अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, आधारहीन तथा म्याद बाहर होने से उक्त अपील खारिज करने का आदेश फरमावे।

9. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा रिकरलाई, पटवार हल्का सिणली जागीर, तहसील पचपदरा के खेत खसरा नंबर 249 रकबा 136 बीघा 9 विस्वा भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि अपीलांटगण एवं रेस्पोडेटगण के संयुक्त खातेदारी है। जिसमें अपीलांटगण के हकपूर्वाधिकारी धुंका पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेंटगण संख्या 1 से 4 के हकपूर्वाधिकारी चनणा पुत्र भोमा का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पोडेंटगण संख्या 5 स 9 के हकपूर्वाधिकारी खीमा का 1/3 हिससा संयुक्त खातेदारी का रहा है। उक्त भूमि के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2001 कैम्प सिणली जागीर में उप तहसीलदार जसोल द्वारा विभाजन आदेश दिनांक 11.12.2001 तथा उक्त आदेश की पालना में म्युटेशन संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 को पारित किया गया। समस्त अपीलांटगण की मुख्य आपत्ति यह है कि उक्त विभाजन आदेश से संबंधित मूल अभिलेख नहीं है। अपीलांटगण की विना सहमति से उक्त विभाजन करवाने से मौके पर कब्जा काश्त से विपरीत हो

जिला कलक्टर
बालोतरा

गया तथा राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति में भिन्नता होने से उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उक्त आदेश की पालना में म्युटेशन संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 जो उपतहसीलदार जसोल द्वारा पारित किया गया गया है, को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा आलौच्य विभाजन एवं नामान्तरणकरण को जारी करने में जो पत्रावलियां कायम की गई हैं वह वर्तमान में तहसीलदार के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं ऐसे में उक्त पत्रावलियों के अवलोकन के बिना आलौच्य विभाजन जारी करने के सम्बन्ध में अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर जांच एवं निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबध में अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा प्रकट किया है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करते समय अपीलांट्स को कोई सूचना नहीं दी गई इसलिये अपीलांट्स को पारित नामान्तरकरण की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट्स की ओर से यह अपील करीब 23 वर्ष के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसके संबंध में अपीलांट्स द्वारा कोई ठोस एवं तर्कसंगत कारण प्रकट नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता हैं कि अपीलांट्स की ओर से यह अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो खारिज योग्य है। साथ ही नामान्तरकरण को फैसल हुए लगभग 23 वर्ष का समय हो चुका है, जो कि नामांतरण की अपील पेश करने हेतु अत्यधिक विलम्ब की श्रेणी में आता है। साथ ही नामान्तरकरण राजकोषीय (फीसकल) प्रकिया मात्र है। यदि अपीलांट अपने हक हकूकों के संबंध में अन्य कोई अनुतोष चाहता है तो उक्त मामले में सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद के जरिये प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलांट सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

10. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 11.12.2001 के उपरांत स्वीकृत नामान्तरणकरण संख्या 30 दिनांक 05.04.2002 को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे।। पत्रावली फैसल शुमार हाकर नंबर से कम हो।

11. निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा